

179

XI 42

286

न्यायालय श्रीमान् सलस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प

रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2012

R-3638-J/12



मो. शाकिर उल्द यारमीन मोहम्मद निवासी ग्राम - गोरबी तहसील - चितरंगी जिला सिरौली म०प्र० ----- आवेदक

मि. निवासी
मि. निवासी
मि. निवासी
17/10/12

विरुद्ध

----- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश कले० जिला

सिरौली दिनांक 09-10-12 बाबत.

प्रकरणक्र० 100/निग०/2011-12

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व संहितासत 1959ई०

संक्षेप मे तथ्य

गोरबी तहसील चितरंगी की मूमि न० 800/2, 1318, 1324/1, 1314


कुलरकवा 2.16 हे० पर सैफुल्ला वगैरह आवेदक मालिक है जिसपर आवेदक का पुस्तानी माकान हदारा कुआं: वाग वगीचा वपम्प वविजली केने० वाउड्डीआदि निमित्त होने से आवेदक के हक मे जरिये प्रकरणक्र० 142/80-74/97-98 आदेश दिनांक 12.01.1999 को आवेदक को मूमिस्वामी दर्जकिये जाने बाबत आदेश सहायक वन्दोवस्त अधिकारी दल क्रमांक 4 चितरंगी द्वारा की गयी और आदेश के बाद अभिलेखों मे इततलायावी न होने कारण पुनः नायब तहसीलदार चितरंगी द्वारा इततलायावी आदेश 05.01.03 पारित किया गया जिसके खिलाफ कलेक्टर सिरौली द्वारा स्वयमेव पुनरीक्षण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3638-I/12

जिला-सिंगरौली

मोह0 शाकिर/शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 100/निग0/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	

